य सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी, जिला नागौर राज.

पीठासीन अधिकारी – सुरेश कुमार आर.ए.एस.

वाद संख्या – 205/2017

भंवरूराम पुत्र किस्तुरराम जाति जाट निवासी गेमलियावास, तहसील रियांबड़ी जिला नागौर राज0

बनाम

दीगण– 1. गीतादेवी पत्नी रामलाल
2. इन्द्रराज पुत्र रामलाल
3. मंजुदेवी पुत्री रामलाल
4. संजुदेवी पुत्री रामलाल
5. शांतिदेवी पुत्री रामलाल
6. संगीता पुत्री रामलाल
7. मांगीलाल पुत्र पारूदेवी पुत्री किस्तुरराम
8. शारदा माता पारूदेवी पुत्री किस्तुरराम
9. सुखाराम पुत्र बुद्वाराम
10. अमराराम पुत्र बुद्वाराम सभी जातियान जाट निवासीगण गेमलियावास तहसील रियांबड़ी जिला नागौर राज0
11. तहसीलदार रियांबड़ी
12.. पटवारी हल्का लीलियां।

दावा बाबत घोषणा खातेदारी व बंटवाड़ा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

धिवक्ता वादी – धनयाम खालिया
धिवक्ता प्रतिवादी– कैलाशराम कलवाणियां

दिनांक 07.02.25

–:: निर्णय ::–

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व प्रतिवादीगण पेश कर निवेदन किया है कि वादी व प्रतिवादीगण सं० 1 से 10 हिन्दु है तथा हिन्दु विधि की मिताक्षरा शाखा की बनारस स्कूल से गवर्न होते है तथा सभी एक ही परिवार के सदस्य है। ग्राम गेमलियावास की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 1137ध1224 रकबा 0.08 हैक्टेयर खसरा नम्बर 1138 रकबा 1.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1125 रकबा 0.57 हैक्टेयर वादी व प्रतिवादीगण की सह खातेदारी की पैतृक काश्त व कब्जासुद भूमि आई हुई है। पेरा नम्बर 2 में वर्णित आराजी आगे वाद मे मुतनाजा आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। ग्राम गेमलियावास की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 1137/1224 रकबा 0.08 हैक्टेयर खसरा नम्बर 1138 रकबा 1.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1125 रकबा 0.57

उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी
जिला – नागौर

र व वादी व प्रतिवादीगण सं 01 से 10 सयुंक्त खातेदारी की है जो पक्षकारान की पैतृक है। वादी व प्रतिवादीगण ने अपनी सहुलियत से बंटवाडा कर लिया है व माफिक बंट के अपनी जमीन पर काश्त व काबिज है परन्तु खातेदारी में नाम माफिक बंट के नही होने दी यह बंटवाडा व घोषणा का वाद पेश कर रहा ळें उपरोक्त खसरान का बंटवाडा रान ने आज से करीब पांच वर्ष पूर्व जुबानी रूप से जब वादी व प्रतिवादीगण सं० 1 से लग अलग हुवे तब कर लिया है जो निम्न प्रकार से है :–

के बंट में :– खसरा नम्बर 1138 रकबा 1.05 हैक्टेयर मौजा गेमलियावास खसरा नम्बर रकबा 0.57 हैक्टेयर मौजा गेमलियावास

वादीगण सं० 1 व 2 के बंट में :– खसरा नम्बर 1137/1224 रकबा 0.08 हैक्टेयर उपरोक्त सार खसरा नम्बर 1138 व खसरा नम्बर 1125 में से प्रतिवादीगण सं० 1 से 10 का नाम या जावे व खसरा नम्बर 1137/1224 में से वादी व प्रतिवादीगण सं० 3 से 10 का नाम ावे।

उपरोक्त बातये माफिक पक्षकारान अपने अपने बंट की भूमि पर काश्त व काबिज है मौके पर अलग अलग सीवें माठे कायम कर ली है। वादी व प्रतिवादीगण सं० 1 से 10 म खातेदारी में माफिक बंट के नहीं होने से वादी को भारी परेशानियो को सामना करना रहा है। पेरा नम्बर 5 में बाताये अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के नाम से अलग–अलग कर दिया जावे। उक्त आराजी के आलवा जो भूमि वादी व प्रतिवादीसंगण के पास थी सका वादी व प्रतिवादीगण ने आपस में बंट कर लिया है। इसलिए इस बंटवाडा मे वादी व तिवादीगण के बीच मे कम ज्याद भूमि बंट आई हुई है। परन्तु कुल जमीन में वादी व तिवादीगण के बराबर बराबर बंट है। उपरोक्त खसरान का बंटवाडा जुबनी रूप से पक्षकारान कर लिया है। मगर कानूनी रूप से बंटवाडा बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स नहीं हुआ है। जससे अभी तक माफिक बंट के अलग अलग खातेदारी का इन्द्राज नही हुआ है। जिससे दी वादग्रस्त खसरान का बंटवाडा बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाने हेतु यह वाद पेश कर हा है। मुतनाजा आराजी पर काश्त व कब्जा वादी व प्रतिवादीगण बताये अनुसार है मगर खातेदारी में नाम माफिक बंट के नाम दर्ज नहीं होने से वादी यह घोषणा करवाने के अधिकारी है कि मौजा गेमलियावास की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 1137/1224 रकबा 0.08 हैक्टेयर खसरा नम्बर 1138 रकबा 1.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1125 रकबा 0.57 हैक्टेयर वादी व प्रतिवादीगण के नाम से माफिक बंट के खातेदारी में दर्ज नही है व वादी व प्रतिवादीगण माफिक बंट के काश्त व काबिज है। उक्त सम्पूर्ण भूमि का वादी व प्रतिवादीगण ने आपस में बंटवाडा कर लिया है परन्तु फिकरा नम्बर 5 मे बताई अनुसार बंट की भूमि में खातेदारी मे नाम माफिक बंट के नहीं होने से यह वाद वादी पेश कर रहा है। मुतनाजा खसरान की खातेदारी मे वादी का नाम माफिक बंट के नाम दर्ज नहीं होने से प्रतिवादीगण मुतनाजा आराजी को खुर्द–बुर्द करने पर उतारू है। जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई

उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी
जिला – नागौर

नहीं है। क्योंकि मुतनाजा आराजी वादी व प्रतिवादीगण की पैतृक आराजी है। यदि गण अपने नापाक इरादो मे सफल हो गये तो वादी को अपूर्णीय क्षति होगी। जिसकी सी भी रूप में नही की जा सकेगी व वादी के अधिकारो पर कुठाराघात होगा। गण सं० 11 तहसीलदार रियांबडी भूमिधारी होने से आवश्यक पक्षकारा है इसलिए पक्षकार बनाया गया है तथा प्रतिवादीगण सं० 10 प्रतिवादीगण सं० 11 के अधिनस्थ उन्हे पक्षकार बनाया गया है। बिनाय दावा कुछ दिनों पूर्व जब वादी ने प्रतिवादीगण दग्रस्त खसरा की भूमि का बंटवाडा बाई मीट्स एण्ड माउण्ड्स करवाने का कहा तो दीगण इंकार हो गये तथा वादी के अधिकारो को चुनौती दी तब बमुकाम ग्राम यावास तहसील रियांबडी अन्दर हदूद अदालत वाला पैदा हुआ। मालियत बगर्ज कोर्ट व समायत अख्तियार अदालत वाला के दावा घोषणा खातेदारी व बंटवाडा का होने से रेत न्याय शुल्क के स्टाम्प रूपये 2/– के पेश है। अदालत वाला को दावा समायत का हासिल प्राप्त है। इस्तदुआ वादी यह है कि दावा वादीं की डिकी बहक वादी खिलाफ ादीगण मय खर्चा के निम्नलिखित तरीक से सादिर फरमाई जावे कि :–. मौजा मौजा लियावास की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 1137/1224 रकबा 0.08 हैक्टेयर खसरा नम्बर 8 रकबा 1.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1125 रकबा 0.57 हैक्टेयर की भूमि वादी व वादीगण सं० 1 से 10 की पैतृक सह खातेदारी काश्त व कब्जासुद है। विवादित खसरान बंटवाडा वाद पत्र के पेरा सं० 5 मे बताये अनुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स किया जाकर फेक बंटवाडा वादी व प्रतिवादीगण सं० 1 से 2 के नाम अलग अलग खातेदारी का इन्द्राज या जावें व माफिक बंटवाडा वादी व प्रतिवादीगण सं० 1 से 2 का सेपरेट पजेशन कायम वाया जाकर माफिक बंट के दर्ज किया जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को वास्ते जवाबदेही जरिये न तलब किया गया। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 10 ने उपस्थित न्यायालय होकर राजीनामा पेश किया है एवं माफिक दावा वाद डिक्री किया जाने पर सहमति प्रकट की।

प्रकरण में उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी के द्वारा वाद पत्र के साथ प्रस्तुत वादग्रस्त भूमि नकल जमाबन्दी संवत 2073–2076 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त वादग्रस्त भूमि के वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 10 रिकॉर्डेड खातेदार है जो अपनी खातेदारी भूमि का सहमति से बंटवाड़ा करवाना चाहते है जिसकी वादी खातेदार को अधिकार प्राप्त है। प्रतिवादीगण संख्या 3 से 10 उक्त वादग्रस्त भूमि में अपना हक वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पक्ष में त्याग कर रहे है। उपर्युक्त विवेचन अनुसार वाद वादी माफिक राजीनामा डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

अतः वाद वादी माफिक राजीनामा डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण किया जाकर वाके गेमलियावास की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 1137ध1224 रकबा 0.08 हैक्टेयर खसरा नम्बर 1138 रकबा 1.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1125 रकबा 0.57 हैक्टेयर भूमि का

उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी
जिला – नागौर

ुरान वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 10 के मध्य निम्नानुसार बंटवाड़ा स्वीकृत किया
र खातेदार घोषित किये जाते है – **वादी के बंट में** :– खसरा नम्बर 1138 रकबा 1.05
यर मौजा गेमलियावास खसरा नम्बर 1125 रकबा 0.57 हैक्टेयर मौजा गेमलियावास
वादीगण सं० 1 व 2 के बंट में :– खसरा नम्बर 1137/1224 रकबा 0.08 हैक्टेयर। खसरा
र 1138 व खसरा नम्बर 1125 में से प्रतिवादीगण सं० 1 से 10 का नाम हटाया जावे।
रा नंबर 1137/1224 में से वादी व प्रतिवादीगण संख्या 3 से 10 का नाम हटाया जावे।
अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जाकर खातेदारी दर्ज की जावे। डिक्री पर्चा
ो हो।

(सुरेश कुमार)
सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी
जिला–नागौर

आज दिनांक 07.02.25 को यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में
ाया गया।

(सुरेश कुमार)
सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी
जिला–नागौर